राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि / 3 / 2012 जयपुर, दिनांकः 1 OCT 2012

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अनुसार इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3.9.2012 द्वारा पट्टा विलेख प्ररूप राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया था।

उक्त आदेश द्वारा जारी पट्टा विलेख के पैरा संख्या 10 में अंकित **''भवन निर्माण के''** शब्द को एतद्द्वारा विलोपित करते हुए पैरा संख्या 10 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

''10. **इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिड्यूल्ड बैंक / सरकार ऋणदात्री संस्था / एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।''**

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर0के0पारीक)
उप शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
6. उप शासन सचिव प्रथम / द्वितीय / तृतीय / संबंधित अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश की प्रति समस्त नगर निगमों / नगरपरिषदों / नगरपालिकाओं को भिजवावें।
9. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
10. सचिव, नगर सुधार न्यास.........................(समस्त)
11. रक्षित पत्रावली।

(आर0के0पारीक)
उप शासन सचिव–द्वितीय